an>

Title: Need to include 'Ho' language in Eighth Schedule to the Constitution.

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है।...(व्यवधान) मैं झारखंड राज्य के सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ।...(व्यवधान) इस क्षेत्र की 'हो' भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में हमेशा से माँग रही है।...(व्यवधान) झारखंड राज्य के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और बिहार आदि राज्यों में 'हो' भाषा का प्रयोग बोलचाल एवं पठन-पाठन में किया जाता है।...(व्यवधान) इन सभी राज्यों में लगभग 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।...(व्यवधान) संविधान की 8वीं अनुसूची में 'हो' भाषा के शामिल होने से 'हो' समाज के सामाजिक उत्थान के साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और राज्य भाषा के साथ 'हो' भाषा भी सम्पर्क भाषा का काम करेगी।...(व्यवधान)

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर तरीके से माँग करता हूँ कि सिंहभूम लोक सभा सहित सभी राज्यों से जो माँग 'हो' भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग है, इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।...(व्यवधान) मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और

श्री निशिकान्त दुबे को श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।